न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री हनुमानाराम आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 01/2022

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
01– वेनाराम पुत्र शिवराम 02– मोहनलाल पुत्र शिवराम जातियान सुथार निवासगण धमाणा हाल बरसल की बेरी (दूठवा) तहसील चितलवाना जिला सांचोर (राज.)		01– सरपंच ग्राम पंचायत दूठवा 02– महबूब पुत्र हासम 03– रहमान पुत्र हासम 04– मरूवा पत्नि हासम जातियान सिंधी निवासीगण दूठवा तहसील चितलवाना जिला सांचोर (राज.) 05– भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना जिला सांचोर (राज.)

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट
बनाराजगी ग्राम पंचायत दूठवा द्वारा अस्वीकृत आदेश नामान्तरकण संख्या
1528 दिनांक 04–09–2021

उपस्थिति :–

1– अपीलाण्ट वकील श्री भगवती प्रसाद बालौत
2– रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 03 अनुपस्थित
3– रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 एक पक्षीय

निर्णय दिनांक 11/01/2024

1– अपीलाण्ट द्वारा खरीदसुदा खेत वाके सरहद मौजा दूठवा के खेत खसरा संख्या 210 रकबा 5.75 हैक्टर में से रकबा 0.1[illegible] हैक्टर, खेत खसरा संख्या 3222/219 रकबा 0.63 हैक्टर में से रकबा 0.0[illegible] हैक्टर जुमले रकबा 0.1560 हैक्टर भूमि का विधिवत् बैचाननामा उप पंजियक [illegible]लिय चितलवाना में पजि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 14:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना जिला-सांचोर

करवाकर उक्त खरीदसुदा आराजी का अपीलाण्ट के नाम नामान्तरकरण भरने हेतु हल्का पटवारी को दस्तावेज पेश कियें जिसके आधार पर हल्का पटवारी दूठवा द्वारा मौके पर कब्जे के आधार पर अपीलाण्ट्स के नाम नामान्तरकरण संख्या 1528 खोला जाकर जांच हेतु हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक. दूठवा को दिया गया जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक दूठवा द्वारा मौके की जांच कर जांच सही पाने पर अपनी रिपोर्ट पेश की तथा तत्पश्चात् उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत हेतु सरपंच ग्राम पंचायत दूठवा के समक्ष पेश किया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत दूठवा ने उक्त नामान्तरकरण हम अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 04–09–2021 को अस्वीकृत कर दिया।

मौजा बरसल की बेरी पटवार हल्का दूठवा में खेत खसरा संख्या 211 रकबा 0.35 हैक्टर, 212 रकबा 11.33 हैक्टर, 213 रकबा 2.79 हैक्टर, 226 रकबा 2.94 हैक्टर, 227/2619 रकबा 0.48 हैक्टर, 228 रकबा 1.56 हैक्टर भूमि अपीलाण्ट्स की धर्मपत्नियां कमंशः सुआदेवी व बाबुदेवी के नाम से उपरोक्त खेत खसरा संख्या 211, 212, 213, 226, 227/2619, 228 में 1/6 – 1/6 हिस्सा खातेदारीसुदा, कब्जासुदा आया हुआ है तथा उक्त खेत का अपीलाण्ट्स व अन्य सहखातेदारान के मध्य आपसी मौखिक बंटवाडा हो चुका है तथा मौखिक बंटवाडा अनुसार सहखातेदारान का अपने अपने हिस्से में काश्त काबिज है। किन्तु हमारी धर्मपत्नियों के नाम खातेदारी खेतो में प्रवेश करने हेतु कोई कटाण रास्ता नहीं होने से अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त कब्जा काश्तसुदा खेत में प्रवेश करने हेतु खेत खसरा संख्या 210 व 3222/219 में से हमारे उक्त धर्मपत्नियों के नाम खातेदारी खेत में प्रवेश करने हेतु रास्ता प्रयोजनार्थ हेतु उक्त [illegible] की गई तथा मौके पर कब्जा प्राप्त किया। किन्तु मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत दूठवा ने कब्जा की बिना जांच कियें हुयें उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत कर कानून व वाक्याती भारी भूल की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 14:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना
जिला-सांचौर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

अपीलाण्ट्स द्वारा खरीद की गई भूमि का हमारे नाम नामान्तरकरण भरने हेतु हल्का पटवारी को बैंचान दस्तावेज की नकल दी गई। जिस पर अपीलाण्ट्स का मौके पर कब्जा होने पर हल्का पटवारी ने दिनांक 08-08-2021 को नामान्तरकरण संख्या 1528 अपीलाण्ट्स के नाम खोलकर उनकी रिपोर्ट के साथ हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक को जांच करने हेतु भेजा गया जिस पर भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा दस्तावेज एवं मौके की जांच कर दिनांक 13-08-2021 को जांच कर सही होना बताया जाकर अपनी रिपोर्ट पेश की जिस पर ग्राम पंचायत दूठवा द्वारा उक्त नामान्तरकरण में उक्त नामान्तरकरण को दिनांक 15-08-2021 को ग्राम सभा की बैठक में पेश करने की टिप्पणी की गई। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा जानबूझ कर राजनैतिक द्वेष भावना के कारण हल्का पटवारी द्वारा खोला गया बैचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1528 को येन-केन प्रकरेण अस्वीकृत करना था इस कारण ग्राम सभा की बैंठक में उक्त नामान्तरकरण में कोई कार्यवाही न करते हुयें उक्त नामान्तरकरण प्रकियाधीन रखा जिसकी समय-समय पर अपीलाण्ट्स द्वारा ऑन-लाईन जमाबंदी नकलें प्राप्त की जिसमें दिनांक 20-12-2021 को हम अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की नकल ऑन-लाईन प्राप्त की जिसमें हमारे पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 1528 प्रकियाधीन बताया गया किन्तु मातेहत न्यायालय ग्राम पंचायत दूठवा द्वारा दिनांक 04-09-2021 को ग्राम पंचायत की मजमें-आम बैठक बुलायें बिना ही राजनैतिक द्वेष भावना के कारण अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर दियें बिना ही उक्त नामान्तरकरण में जांच कियें बिना ही मौके पर मालिकाना हक नहीं (कब्जा नहीं), मौके पर माठ नहीं की गलत टिप्पणी दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 1528 अस्वीकृत कर कानूनी एवं व्याक्[illegible]

न्यायालय ग्राम पंचायत [illegible] नामान्तरकरण संख्या 1528 को अस्वीकृत दिनांक 04-09-2021 करने बाबत् अपीलाण्ट्स को पूर्व में जानकारी नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 14:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना
जिला-सांचौर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

थी। चूंकि अपीलाण्ट्स ने दिनांक 20–12–2021 को जब उक्त खसरा नम्बरान की नकले ऑन–लाईन प्राप्त की तब उक्त नामान्तरकरण प्रकियाधीन होना जाहिर हुआ किन्तु अपीलाण्ट्स द्वारा दिनांक 23–12–2021 को हल्का पटवारी से संपर्क किया जिस पर हल्का पटवारी ने हमें बताया कि आपका नामान्तरकरण संख्या 1528 ग्राम पंचायत दूठवा द्वारा अस्वीकृत कर खारिज कर दिया गया है। जिस पर अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1528 की हल्का पटवारी दूठवा से दिनांक 23–12–2021 को सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने पर अपीलाण्ट को पुख्ता जानकारी होने पर जानकारी की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है, बावजूद धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया गया है, अन्त में अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील स्वीकृत फरमाकर न्यायालय ग्राम पंचायत दूठवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–09–2021 बाबत् नामान्तकरकरण संख्या 1528 को अपास्त फरमाकर उक्त आराजी के संबंध में अपीलाण्ट के पक्ष में बैचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु रेस्पोडेण्ट संख्या 05 के नाम आदेश फरमावें।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ता 05 को जरियें सम्मन तलब किये गये, रेस्पोडेण्ट संख्या 1,2,3 का जवाब पेश करने हेतु न्यायहित में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद रेस्पोडेण्ट संख्या 1,2,3 को जवाब बंद किया गया तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 04 व 05 के सम्मन तामिल होने के बावजूद तथा उनको उपस्थिति बाबत् न्यायहित में पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद रेस्पोडेण्ट संख्या 04 व 05 अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 07–12–2023 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 14:30:39 IST
Reason: SelfAttested

मैनें विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय ग्राम पंचायत दूठवा द्वारा पारित आदेश बाबत् नामान्तरकरण

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना जिला-सांचौर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

संख्या 1528 दिनांक 04-08-2021 बैनामा दस्तावेज तथा उक्त आराजी के कब्जे बाबत् फोटोज इत्यादी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन किया गया, वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी उनकी [illegible] के नाम दर्ज खातेदारी खेती में प्रवेश हेतु उक्त आराजी खरीदकर कब्जा प्राप्त किया जो अपीलार्थी द्वारा कब्जे के संबंध में पेश फोटोज से यह स्पष्ट है कि खरीदशुदा आराजी पर उक्त खरीद से आज दिन तक कब्जा अपीलार्थी का है जिसकी ताईद हल्का पटवारी दूधास व भू-अभिलेख निरीक्षक दूधास की जांच रिपोर्ट से बखूबी साबित है किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत दूधास द्वारा राजनैतिक द्वेष भावना के कारण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मौके की जांच किये बिना दिनांक 04-08-2021 को उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत कर कानूनी एवं तकनीकी भारी भूल की है, इस कारण न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1528 बाबत् आदेश दिनांक 04-08-2021 का काबिल अपास्त होने से उक्त आदेश को अपास्त किया जाकर उपरोक्त आराजी का बैनामा दस्तावेज के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाकर स्वीकृत करने का आदेश पारित किया जावे।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत बैनामा दस्तावेज का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि मौजा दूधास के खेत खसरा संख्या 210 रकबा 0.75 हैक्टर में से रकबा 0.12 हैक्टर व खसरा संख्या 3222/215 रकबा 0.83 हैक्टर में से रकबा 0.0360 हैक्टर कुल रकबा 0.1560 हैक्टर भूमि अपीलार्थी द्वारा खरीदकर कब्जा प्राप्त करना साबित होता है [illegible] दस्तावेज में खसरावार [illegible] उक्त आराजी पर अपीलार्थी का [illegible] पटवारी दूधास व भू-अभिलेख निरीक्षक दूधास की जांच रिपोर्ट से बखूबी साबित [illegible] इसी प्रकार उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 14:30:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

अपीलाण्ट द्वारा रास्ता प्रयोजनार्थ खरीद करना बताया गया है तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत फोटोज से रास्तानुमा पदचिन्ह मौके पर दर्शित होने से भी उक्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा होना स्पष्ट होने से न्यायहित में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

आदेश

अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय ग्राम पंचायत दूठवा के पारित आदेश दिनांक 04–09–2021 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 1528 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 05 को आदेशित किया जाता है कि मौजा दूठवा के खेत खसरा संख्या 210 रकबा 5.75 हैक्टर में से रकबा 0.12 हैक्टर व खसरा संख्या 3222/219 रकबा 0.63 हैक्टर में से रकबा 0.0360 जुमले रकबा 0.1560 हैक्टर भूमि का अपीलाण्ट के पक्ष में हुयें बैचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना जिला-सांचौर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 11/01/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 14:30:39 IST
Reason: SelfAttested